भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3002

08 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"लिथियम-ऑयन बैटरी"

3002. श्री पी. वेलुसामी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लिथियम-ऑयन बैटरियों पर आधारित ऊर्जा भंडारण से भारत को ग्रीनहाउस शमन लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में मुख्य रूप से बैटरी विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले लिथियम भंडार की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेशों से लिथियम भंडार आयात करने के बजाय बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत लिथियम-ऑयन बैटरियों के पुनर्चक्रण के लिए कदम उठा सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख) : जी, हां। लिथियम-ऑयन बैटरी-आधारित ऊर्जा भंडारण से भारत को अपने ग्रीनहाउस शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए बुनियादी कच्चा माल लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री हैं। वर्तमान में, भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए विनिर्माण में निवेश और समग्र मूल्यवर्धन नगण्य है तथा एसीसी की लगभग पूरी घरेलू मांग अब भी आयात से ही पूरी की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयातित एसीसी बैटरी पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के निर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। 5 वर्षों की अवधि के लिए इस स्कीम का कुल परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण केंद्र (50 गीगावॉट घंटा)

स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, 5 गीगावॉट घंटा उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियां भी इस स्कीम में शामिल हैं। इस स्कीम में प्रति किलोवाट घंटे पर अनुप्रयोज्य छूट और उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाले विनिर्माताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर उत्पादन-सम्बद्ध छूट का प्रावधान है।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में सार्वजनिक परिवहन बसों सहित ई-वाहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया)**): सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को अधिसूचित किया। इस स्कीम को 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 तक के लिए किया गया। फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम छूट के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने मोटर वाहन क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली पीएलआई स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को मंजूरी दी। इस पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

(ग) से (ङ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों सहित अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2022 प्रकाशित की।

इस नियमावली में बैटरी उत्पादकों के लिए विस्तारिरत उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क का प्रावधान है ताकि वे निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपशिष्ट बैटरियों का पुनर्चक्रण/रीफर्बिश कर सकें। इन नियमों में पुनर्चक्रकों को अपशिष्ट बैटरियों से सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत रिकवर करने का अधिदेश दिया गया है।

***